धन लगाकर स्थापित किया है और बिहार सरकार को इस निवेदन के साथ सौंप दिया कि वह उसे प्राकृत एवं जैनागम के प्रसार प्रचार के लिए इस ढंग से विकसित करे कि वैशाली जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रभाव से मुक्त न रह सके । आज यह संस्थान बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा शोध संस्थान के रूप में है पर क्या सरकार द्वारा इसके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह उसी ढंग से हो रहा है। जैन-अजैन अनेकों की आकांक्षाओं का प्रतीक यह शोध संस्थान आज जो दुर्दशा में है, उसे देखकर शर्म से सिर झुक जाता है । जिस संस्थान के निदेशक पद पर डा० हीरा लाल जैन, श्री दलसुख मालवाड़िया आदि कई शीर्ष विद्वानों ने काम किया है वहां आज न तो कोई सुयोग्य निर्देशक है और न शोध एवं अध्ययन की पर्याप्त सुविधा एवं वातावरण ही है । वर्तमान में जो व्यक्ति इस संस्था में कार्यकारी पद पर नियुक्त है, उसके बारे में रिपोर्ट यह है कि उस व्यक्ति को न तो जैन दर्शन का ज्ञान है और न उसके शोध एवं अध्ययन का विशेष अनुभव है । इस अवस्था में मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करता हूंकि वे तुरन्त इसमें हस्तक्षेप करें तथा बिहार सरकार को आदेश दें कि वह देश में रहने वाले लाखों प्राकृत भाषा प्रेमी, एवं जैन भाइयों की भावना को मद्दे नजर रखते हुए बिहार सरकार के माध्यम से प्राकृत भाषा व जैनागम के शोध एवं प्रसार प्रचार के लिए उपयुक्त सुविधा प्रदान करे, साथ ही निदेशक के रूप में कोई समर्पित एवं निष्ठावान जैन दर्शन एवं प्राकृत भाषा का विद्वान की नियुक्ति हो ताकि शोध संस्थान एक सही माने में आग बढ़ सके । साथ ही मायनारिटी कमीशन के माध्यम से इसमें हो रही गड़बड़ियों की जांच करायें ताकि जैन एवं जैनेन्तर समाज में इस संबंध में फैला असंतोष दूर हो सके एवं प्राकृत भाषा का फिर से प्राचीन गौरवमय स्थान प्राप्त हो सके और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए होस्टल तथा पुस्तकालय व अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति करे और पूर्ण रूप से आर्थिक मदद करे । मैं उम्मीद करता हूं कि केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार को इस विषय में निर्देश देगी और इससे इस प्राकृत भाषा के रिसर्च सेन्टर के लिए पूर्ण मदद करेगी ।

Negligence of Hindi in Courts

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्र के हित के एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से इस सदन का और केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारी आजादी की अर्द्ध-शताब्दी की तैयारी हो रही है और इक्कीसवीं सदी में पहुंचने की भी तैयारी हो रही है । लेकिन आज भी अपने इस आजाद देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी का अपमान होता है । चाहे पिछली सरकार रही हो या वर्तमान सरकार रही हो, क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी के विकास के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । आपने भी पढ़ा होगा आज के समाचार, पत्रों में प्रायः सभी समाचार पत्र में यह समाचार छपा है कि हिन्दी में याचिका सुनने से इंकार । दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका हिन्दी में प्रस्तु की गई थी। इसको सुनने से और इसमें हस्तक्षेप करने से और इसके लेने से अस्वीकार कर दिया गया । यह अपने देश में बहुत शर्मनाक बात है । हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है । अपने देश का कानुन इस प्रकार का है कि न्यायालय ने विवश होकर हिन्दी में प्रस्तुत याचिका को लेने से अस्वीकार कर दिया । मैं इसमें न्यायालय की कोई अवमानना की बात नहीं करता . . .

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE) : I will tell you what he is saying. He is not saying anything against any language. You are not following him. Hw is talking of the regional languges also. I can follow him.

श्री ईश दत्त यादव : मैं न्यायालय की अवमानना की कोई बात नहीं करता क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इस तरह के हैं कि अंग्रेजी की ही याचिका प्रस्तुत की जायेगी और हिन्दीया किसी क्षेत्रीय भाषा में याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । माननीय, मैं चाहता हूं कि राष्ट्र भाषा हिन्दी का

[श्री ईश दत्त यादव]

सम्मान हो और देश की एक भाषा बने। साथ ही साथ जितनी भी क्षेत्रीय भाषायें हैं, उन सभी भाषाओं के प्रति भी मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने इस संबंध में बहुत साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कहा कि कोई भी कामकाज अब अंग्रेजी में नहीं होगा बल्कि हिन्दी में होगा। दूसरे प्रदेशों को जो भी पत्र जायेगा वह हिन्दी में जायेगा। उन प्रदेशों से अगर उनकी स्थानीय भाषा में, जो उनकी रीजनल लैंगवेज है, उस भाषा में पत्र आएंगे तो हम उसका सम्मान करेंगे और उस पर कार्यवाही करेंगे। इसलिये मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, जिन्होंने यह साहसिक कदम अपने प्रदेश में उठाया है; उनको इस संबंध में बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, जितने भी हम माननीय सदस्यगण हैं, हो सकता है कि मेरी बातों से उनमें से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो। लेकिन मैं देश हित में, राष्ट्र हित में, यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अविलंब इस तरह के कानून बनाये ताकि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हिन्दी में भी याचिका प्रस्तुत की जा सके। साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि केंद्रीय सरकार का सारा काम राष्ट्र भाषा हिन्दी में होना चाहिये। यह मेरी सरकार से अपील है, प्रार्थना है। धन्यवाद।

Grant of Statehood to Delhi

SHRI H. HANUMANTHAPPA ((Karnataka) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to raise a very important matter relating to grant of Statehood to Delhi. The National Front Government has been having negotiations with its own allies like BJP, CPI and CPM. Every day we see in the newspapers that they are discussing various proposals for the purpose of grant of Statehood to Delhi. It is quite unfortunate that though the BJP is a constituent of the Janata Dal Government...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE) : National Front Government.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Yes, it is the supporting party of the National Front Government. The BJP is issuing statement after statement to gain political advantage. It is telling to the people of Delhi that they are very much particular for the grant of Statehood to Delhi. Neither the Ntional Front Government nor the Prime Minister has given any concrete proposal so far. But I have come to know from what has appeated in the press that a Bill in this regard will be introduced in Parliament during this session. Shri Madan Lal Khurana, who is representing Delhi, has given a proposal that Delhi will be cut into two, one portion will be called the 'Delhi State' and the other 'Union Territory' Within the 'Union Territory' will come the NDMC and Cantonment areas, while the other areas will come under the 'Delhi State'.

AN HON. MEMBER : Where will be our Parliament House ?

SHRI HANUMANTHAPPA : Exactly, So, Government should not be in a haste to please BJP. The Government should not bring the Bill before the House. Other parties also should be consulted. Congress(I) party has not been consulted, has not been taken into confidence. My personal view is that grant of statehood to Delhi requires deep study. The pros and cons have to be studied by the Government before taking any decision. My feeling is that the CPI and CPI(M) have some reservations on adding certain clauses. Therefore, my point of view is that just to please the BJP, they should not neglect the other parties. Apart from that, the Central Government should re-think over the matter before bringing the Bill before both Houses of Parliament because it is a very sensitive matter. The Constitutional and other things should